

बिहार सरकार
राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय
(समाज कल्याण विभाग)

निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-01/रा0आ0नि0-2025

पत्रांक:- 504/आ0आ0नि0 बिहार, पटना

दिनांक :- 11/09/2025

01. विज्ञापन का नाम, पदनाम एवं पता :- राज्य आयुक्त निःशक्तता, राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, बिहार, पटना।
02. निविदा आमंत्रण करने की तिथि :- 12.09.2025
03. निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की तिथि एवं समय :- 12.09.2025 से 08.10.2025 को अपराह्न 05:00 बजे तक
04. प्री-बिड मीटिंग का तिथि समय एवं स्थान :- 25.09.2025 को अपराह्न 01:00 बजे पंत भवन, चतुर्थ तल, बेली रोड, पटना-800001 परिसर में स्थित राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, बिहार, पटना।
05. निविदा का स्थान :- www.eproc2bihar.gov.in
06. तकनीकी बिड खोलने की तिथि एवं समय :- 09.10.2025 को अपराह्न 4:00 बजे
07. वित्तीय बिड खोलने की तिथि एवं समय :- तकनीकी बीड की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत सूचित किया जायेगा।
08. निविदा वैधता की अंतिम तिथि :- 120 दिन
09. कार्य का विवरणी :- **Housekeeping and Maintenance Work**

क्र० सं.	कार्य/भवन परिसर का नाम/क्षेत्रफल	अनुमानित सफाई कर्मियों की संख्या	अग्रघन की राशि (रु० में)	बेल्ड्रान को देय बिड प्रोसेसिंग शुल्क अप्रत्यक्षणीय (केवल ऑन लाईन मोड में) (रु०)	कार्य समाप्ति की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	Housekeeping and Maintenance Work. Pant Bhawan, 4 th Floor, Bailey Road, Patna-800001 Area 05,429 sq. ft.	04	10,000 / -	As per e-proc2	30.12.2025

10. ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों/सेवा प्रदाता को पंजीकृत होना चाहिए, जिससे कि उन्हें उपयोगकर्ता का नाम (User ID) पासवर्ड (Password) अंकीय हस्ताक्षर (Digital Signature) आवश्यक होगा। यह उन्हें वेबसाइट www.eproc2.gov.in से डाउनलोड करने/ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

11. ई-निविदा मात्र वेबसाइट www.proc2.bihar.gov.in पर डाउनलोड किया जा सकता है।
12. (क) E-Tendring/E-Procurement प्रणाली के तहत निविदा हेतु कंडिका 10 के अनुसार परिमाण विपत्र एवं बिड प्रोसेसिंग शुल्क (बेल्ड्रान को भुगतें) (जो लौटाया नहीं जायेगा) को Online Mode (e-Payment mode)/Internet Payment Gateway (Credit/Debit Card), Net Banking, NEFT/RTGS in e-Tendring/e-Procurement system के द्वारा भुगतें होगा।

(ख) E-Tendring/E-Procurement system के तहत निविदा में अग्रघन के रूप में जमा की जाने वाली राशि ऑनलाईन मोड में स्वीकार्य होगा।

Online Mode के तहत अग्रघन की राशि में Internet Payment Gateway (Credit/Debit), Net Banking, NEFT/RTGS के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

(ग) "Bid along with necessary payments must be submitted through e-Procurement Portal www.eproc2.bihar.gov.in before the date and time specified in the NIT. The department doesn't take any responsibility for the delay/Non submission of Tender/Non Reconciliation of online payment caused due to Non-availability of internet connection/ Network Traffic/Holiday or any other reason."

(घ) "BSECD" Processing fee and Tender fee/BOQ fee has to be paid through e-Payment mode only. EMD may be paid through online mode.



निविदा की प्रमुख शर्तें:-

(क) तकनीकी निविदा की शर्तें:-

3.

1. संवेदक सिर्फ वेबसाइट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भरकर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात अग्रधन की राशि/सभी प्रमाण-पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है, को स्कैन कर ई-निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ई-निविदा के साथ स्कैन किये जाने वाले दस्तावेजों की विवरणी निम्न प्रकार है :-
 - (i) केन्द्रीय क्रय संगठन/राज्य क्रय संगठन राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन (एन0एस0आई0सी0)/एम0एस0एम0इ0 राज्य सरकार के Registered Start up अथवा संबंधित विभागों में पंजीकृत फर्म उक्त बोली प्रतिभूति जमा करने में छूट ले सकते हैं, बशर्ते तत्संबंधी अभिलेखों की प्रति संलग्न हो।
 - (ii) PAN कार्ड की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - (iii) साफ-सफाई एजेंसी/संस्थान को वस्तु एवं सेवाकर के अंतर्गत निबंधन अनिवार्य होगा, GST निबंधन का स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - (iv) किसी भी राज्य सरकार/केंद्रसरकार/अन्य प्रतिष्ठान द्वारा Debar /काली सूची में दर्ज नहीं होने का Notarised शपथ पत्र मूल प्रति में।
 - (v) भारतीय श्रम अधिनियम के तहत Bihar Shops and Establishment Act के अंतर्गत साफ-सफाई एजेंसी/संस्थान का निबंधन अनिवार्य होगा। निबंधन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - (vi) GST के अंतर्गत माह अंतिम त्रैमास के लिए दाखिल विवरणी की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - (vii) एजेंसी/संस्थान द्वारा तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 का आयकर रिटर्न निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
 - (viii) निविदादाता को कम से कम तीन वर्षों का केन्द्र/राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी संस्थान, निगम आदि में साफ-सफाई संबंधी कार्य का कार्य अनुभव होना अनिवार्य होगा। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - (ix) EPFO में Registration Certificate की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।
 - (x) ESIC में Employer का Registration Certificate (C-11) की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति।
 - (xi) सभी पृष्ठों पर निविदादाता का हस्ताक्षर होना चाहिये।
2. संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे, ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी प्रलेख Pdf, M.S. Office (Compatibility Mode), JPEG में ही अपलोड

किये जाए। अन्य फॉरमेट में अपलोड कागजात के डाउनलोड/ओपन नहीं होने पर कोई मान्य नहीं होगा।

3. संवेदक स्कैन पर अपलोड किए कागजातों Download Ability/Visibility से पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लेंगे।
4. इन्टरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि कठिनाईयों से बचने हेतु अंतिम समय से पूर्व की बिड को अपलोड कर लें।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्तें:-

- (i) तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय निविदा खोलने पर विचार किया जाएगा।
- (ii) निविदा में भाग लेने वाले साफ-सफाई एजेंसी/संस्थान द्वारा प्रारूप Annexure -A में स्पष्ट रूप से सूचना का अंकण किया होना चाहिये।
- (iii) साफ-सफाई के लिए प्रति सफाई कर्मी को की जाने वाली भुगतान यथा साफ-सफाई सामग्री पर व्यय, प्रशासनिक व्यय, प्रोफिटमार्जिन, EPFO, ESIC अंशदान की राशि की पूर्ण गणना करने के उपरांत अपना मासिक दर वित्तीय निविदा में दर्ज करेंगे।

(ग) निविदा की अन्य शर्तें:-

- (i) साफ-सफाई की दर प्रति सफाईकर्मी प्रतिदिन (सभी सफाई सामग्री एवं उपकरण सहित) के आधार पर मान्य होगा (Annexure -A Format में) तथा लागू दर पर GST की राशि अलग से कार्यालय द्वारा एजेंसी को भुगतान की जायेगी।
- (ii) उक्त कार्यालय एवं परिसर का स्थान परिवर्तित होने अथवा नये कार्यालय जुड़ने पर भी सफाई कार्य उसी शर्तों के अधीन करना होगा।
- (iii) सफाई हेतु सभी आवश्यक सामग्री यथा-झाड़ू-कश एवं बाथरूम साफ करने का ब्रश, एसिड, हारपिक, फिनाईल, फिनिश, फिनाईल गोली, ओडोनिल, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि सामग्रियों का आवश्यकतानुसार चयनित एजेंसी को स्वयं व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (iv) चयनित एजेंसी को प्रत्येक माह के अंतिम तारीख को संबंधित कार्यालय से साफ-सफाई कार्य से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा इस के उपरांत भुगतान हेतु उनके द्वारा विपत्र समर्पित किया जायेगा।
- (v) चयनित एजेंसी को सभी सफाई कर्मियों का नाम, पता एवं फोटो पहचान/आधार कार्ड की छायाप्रति को सत्यापित कराकर राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय के पास जमा करना होगा।

- (vi) ई-निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार सफल निविदादाता के एकरारनामा की जायेगी। राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, बिहार, पटना चयनित एजेंसी के सफाई कार्य संतोषप्रद रहने की स्थिति में इस एकरारनामा का अवधि-विस्तार किया जा सकेगा। यदि चयनित एजेंसी के साफ-सफाई कर्मियों द्वारा सरकारी सम्पत्ति की क्षति की जाती है, तो इसकी पूर्ण भरपाई चयनित एजेंसी को करनी होगी। यदि हर्जाने की भरपाई चयनित एजेंसी के द्वारा नहीं की जाती है, तो वैसी स्थिति में राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का कार्यालय, बिहार, पटना चयनित एजेंसी के विरुद्ध आपराधिक मामला भी दायर कर सकती है तथा हर्जाने की राशि की वसूली उन्हें भुगतान की जाने वाली राशि से की जायेगी।
- (vii) चयनित निविदादाता को कार्य आवंटन के पश्चात ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत यदि लागू हो तो, लाईसेंस प्राप्त कर कार्यालय में जमा करना होगा।
- (viii) चयनित निविदादाता द्वारा जिन-जिन मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उन मजदूरों को EPFO कार्यालय एवं ESIC कार्यालय में निबंधित करवाकर निबंधन का साक्ष्य राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय में जमा करना होगा।
- (ix) चयनित निविदादाता प्रत्येक महीने मजदूरों का EPFO Contribution, ESIC Contribution संबंधित कार्यालय में जमा कर चालान की प्रति प्रत्येक महीने कार्यालय में जमा करेंगे एवं इस संबंध में संवेदक द्वारा मजदूरों के हित के प्रतिकूल कार्य करते हुए पाये जाने पर संवेदक को Debar/कालीसूची में दर्ज करने एवं भविष्य में कहीं भी निविदा दाखिल करने से वंचित किया जा सकता है।
- (x) निविदा अस्वीकृत/रद्द करने का पूर्ण अधिकार राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- (xi) निविदा जमा करने की अंतिम तिथि तक E-proc2.0 वेबसाइट <https://eproc.2bihar.gov.in/EPV2Web/> स्वीकार किया जायेगा।
- (xii) Cutting, Overwriting एवं Whitening आदि के प्रयोग होने पर दस्तावेज consider नहीं किया जायेगा।

नोट:- निविदा हेतु आवेदन पत्र का वित्तीय प्रारूप एवं विस्तृत निविदा सूचना दस्तावेज E-proc2.0 Portal (<https://eproc.2bihar.gov.in/EPV2Web/>) और समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के वेबसाइट (<https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html/>) पर देखा जा सकता है।

कार्य का स्वरूप:-

1. एजेन्सी द्वारा भवन के भीतरी एवं बाहरी कैपस का पूर्ण रूप से Cleaning, Dusting, Mopping इत्यादि का कार्य करना पड़ेगा। इसके अंतर्गत सभी कमरे, बरामदा, सीढ़ी, शौचालय की संपूर्ण सफाई सुनिश्चित करना।
2. एजेन्सी के सफाई कर्मी द्वारा परिसर स्थित किसी भी तरह के स्थायी Structure, Fittings, Furniture, Apparatus, Tiles, Pipes, Electrical Fittings का नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा। किसी भी तरह का नुकसान प्रतिवेदित किये जाने पर उसके मरम्मती/बदलने का कुल खर्च एजेन्सी से वसूला जायेगा।

3. विभिन्न कार्यों का विस्तृत विवरणी निम्नवत है :-

क्रम संख्या	स्थान	परिसर	अंतराल (कितने दिनों पर करना है)
1.	कमरों की सफाई	कार्यालय	दिन में एक बार
2.	बरामदा	कार्यालय	दिन में एक बार
3.	सीढ़ी	कार्यालय	दिन में एक बार
4.	शौचालय/यूरीनल	कार्यालय	कार्यालय में प्रत्येक घंटे
5.	कैपस का एरिया	कार्यालय	दिन में एक बार
6.	कार्यालय भवन के नालों की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
7.	खिड़की का काँच एवं मकड़ी के जाले की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
8.	बरसात के कारण जलजमाव की स्थिति में	कार्यालय	आवश्यकता पड़ने पर अविलंब पानी निकालना
9.	मरा हुआ चूहा	कार्यालय	तुरंत खोज कर फेंकना
10.	कार्यालय में टेबल, टेबल का ग्लास, कुर्सी की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक दिन
11.	खिड़की, दरवाजा, फर्श विभिन्न कोनों में जमे धूल, मकरी का जाल, अन्य स्थानों पर जमे गंदगी की सफाई	कार्यालय	प्रत्येक सप्ताह
12.	दीवार/भवन में अनावश्यक रूप में उगे हुए पौधों को हटाना	कार्यालय	महीने में एक बार

4. प्रत्येक सफाई कर्मी का कार्य अवधि सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक रहेगा एवं सफाई कर्मी को इस अवधि में कार्यस्थल पर उपस्थित रहना पड़ेगा।
5. प्रत्येक सफाई कर्मी स्वच्छ कपड़े में रहेंगे एवं स्वच्छता का हमेशा ख्याल रखेंगे एवं सभी कर्मियों को ड्रेस एवं पहचान-पत्र के साथ कार्य करना होगा।
6. समस्त सफाई सामग्री एवं मशीनरी अच्छे गुणवत्ता के होने चाहिये।
7. समस्त कचरा को नगर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट स्थान पर सफाई कर्मी प्रतिदिन फेंकेगा।



8. यूरिनल में नेपथ्यालिन बॉल एवं दुर्गंध भगाने वाला ऑडोनिल, यूरिनल एवं शौचालय में हमेशा रहना चाहिए।
9. एजेन्सी द्वारा सिर्फ प्रशिक्षित एवं वयस्क श्रमिक को ही सफाई के कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया जायेगा। बाल श्रमिक को कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किये जाने पर एकरारनामा रद्द हो जायेगा।
10. एजेन्सी द्वारा किसी तरह के आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को सफाई कर्मों के रूप में प्रतिनियुक्त नहीं किया जायेगा।
11. प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा एजेन्सी द्वारा रखा जायेगा।
12. एजेन्सी द्वारा सभी कर्मियों को पहचान-पत्र दिया जायेगा, जो स्थापना प्रभारी, राज्य आयुक्त निःशक्तता कार्यालय, बिहार, पटना द्वारा अनुमोदित रहना चाहिए।
13. एजेन्सी प्रति सफाई कर्मों प्रत्येक माह में 21 दिनों के लिए (सभी सफाई सामग्री सहित) की दर पर कार्य करेंगे। कार्यालय परिसर की सफाई प्रत्येक कार्य दिवस तथा आवश्यकतानुसार अवकाश के दिनों में कार्यालय की सफाई आदि हेतु कार्य लिये जाने पर उनका भुगतान प्रावधानित दैनिक मजदूरी के आधार पर किया जायेगा।
14. आपातकालीन स्थिति में किसी भी समय साफ-सफाई हेतु बुलाया जा सकता है।
15. तालिका-1 में दर्शाये गये परिसर एवं सफाई कर्मियों की सूची/संख्या Tentative है। परिसर की संख्या एवं सफाई कर्मियों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है।
16. कार्यालय परिसर का क्षेत्रफल घटने या बढ़ने पर, सफाई कर्मों की व्यवस्था एजेन्सी को करना पड़ेगा एवं इसके लिए एकरारनामा में उल्लिखित दर से वास्तविक रूप में कार्य कर रहे सफाई कर्मों की संख्या के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
17. किसी भी दिन सफाई नहीं किये जाने पर उस दिन के लिए अनुपातिक ढंग से एक दिन के लिए दर की गणना कर उसका 1.25 गुना राशि की कटौती पूरे महीने के लिए निर्धारित दर से की जायेगी।
18. एजेन्सी द्वारा अपने कर्मियों को बिहार सरकार द्वारा जारी अद्यतन अधिसूचना में अकुशल मजदूरों के लिए घोषित न्यूनतम प्रतिदिन का भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा, जिसमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तन के आलोक में न्यूनतम मजदूरी का भुगतान एजेन्सी द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
19. पूरे महीने के लिए साफ-सफाई हेतु प्रति मजदूर को दी जाने वाली मजदूरी, साफ-सफाई इत्यादि पर होने वाले खर्च, अन्य आपाती खर्च एवं अन्य सभी तरह के खर्च, EPFO, ESIC Contribution की राशि की पूर्ण गणना करके पूरे महीने में एक सफाई कर्मों के



लिए अपना Monthly Rate वित्तीय निविदा में दर्ज करेंगे, जो Without GST Rate होगा। दर्ज Monthly Rate पर लागू दर पर GST की राशि का भुगतान कार्यालय द्वारा अलग से किया जायेगा। सारी गणना सोच-समझ कर करने के उपरांत ही निविदा डालेंगे क्योंकि निविदा डालने के उपरांत न्यूनतम राशि उद्धृत करने वाले निविदादाता द्वारा कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में EMD की राशि जब्त हो जायेगी एवं इन्हें भविष्य के लिए निविदा डालने से वंचित करते हुए Debar /काली सूची में दर्ज करने की कार्रवाई की जायेगी।

20. आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क की दर एवं ऐसे मानव बल के पारिश्रमिक का ससमय भुगतान हेतु निम्नवत् प्रक्रिया का पालन करना होगा:-

- (i) आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल की सेवा प्राप्त करने हेतु सेवा शुल्क न्यूनतम 3.85 प्रतिशत (3 प्रतिशत लाभ और 0.85 प्रतिशत संव्यवहार शुल्क के रूप में) तथा अधिकतम 7 प्रतिशत (संव्यवहार शुल्क सहित) होगी।
- (ii) उक्त निर्धारित न्यूनतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से न्यून एवं निर्धारित अधिकतम सेवा शुल्क की अधिसीमा से उच्च दर अंकित करने वाले निविदादाता की वित्तीय निविदा विचारणीय नहीं होगी। सेवा शुल्क के दर में अंकित रुपये में दशमलव के पश्चात 2 अंक से आगे अंकित अंक को नजर अंदाज कर दिया जायेगा।
- (iii) निविदा में यदि एक से अधिक निविदादाता द्वारा उद्धृत (Quoted) न्यूनतम सेवा शुल्क की दर समान पाई जाती है, तो वैसी स्थिति में लॉटरी के माध्यम से निविदा का निष्पादन किया जाएगा। निविदा के निष्पादन की पूरी प्रक्रिया में बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों का अनुपालन अपेक्षित होगा।
- (iv) मानवबल को श्रम संसाधन विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी एवं उस पर लागू वैधानिक देयता का भुगतान अनिवार्य होगा और इसे निविदा (Bid) का आधार नहीं बनाया जायेगा।
- (v) चयनित एजेंसी के द्वारा सेवा प्रदान कर रहे मानव बल को पारिश्रमिक के भुगतान में श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक का भुगतान मानव बल के आधार संबद्ध बैंक खाता में (RTGS) की प्रक्रिया से किया जायेगा। यह भुगतान सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को राशि विमुक्ति की तिथि के तीन कार्य दिवस के अंदर संबंधित एजेंसी द्वारा किया जायेगा। संबंधित कार्यालय/प्राधिकार द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी को प्रत्येक माह प्राप्त विपत्र के

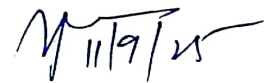


आलोक में राशि का भुगतान किया जायेगा। साथ ही सभी वैधानिक कटौती की राशि को ससमय संबंधित प्राधिकार (यथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं कर्मचारी राज्य बीमा निगम इत्यादि) में आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा जमा कराना होगा।

- (vi) आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कर्मियों/मानव बल के पारिश्रमिक भुगतान (आधार संबंध बैंक खाते में) का साक्ष्य अगले माह के विपत्र के साथ उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा विपत्र की राशि का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा। साथ ही वैधानिक कटौती/देयता (यथा कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान) की राशि जमा करने का साक्ष्य सहित त्रैमासिक प्रतिवेदन भी आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा सेवा प्राप्त कर रहे विभाग/प्राधिकार को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

नोट:- वित्तीय निविदा में वर्णित राशि का Justification एजेंसी से माँगा जा सकता है और Justification उचित नहीं रहने पर भविष्य में निविदा डालने से वंचित किया जा सकता है।

1. समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी का Revision होता है, उसी के अनुसार एजेंसी मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करेंगे।
2. EPFO-ESIC अन्य अनिवार्य राशि संबंधित विभाग से जमा करने का पूर्ण दायित्व साफ-सफाई एजेंसी का रहेगा।



राज्य आयुक्त निःशक्तता,
बिहार, पटना।